न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 299/2011

1 गोविन्दराम पुत्र मोती।
2 दुलीचन्द पुत्र मोती।
3 उगमा देवी बेवाह मोती।
4 भंवरी देवी बेवाह मोहन।
5 जगदीश पुत्र मोहन।
6 बनवारी पुत्र मोहन।
7 दुर्गालाल पुत्र मोहन।
8 सत्यनारायण पुत्र मोहन।
9 बाबूलाल पुत्र मोहन।
10 गणपति पुत्री मोहन।
11 सन्तोष पुत्री मोहन।
12 शारदा पुत्री मोहन।
13 कन्हैयालाल पुत्र गोपीराम।
14 दड़कली बेवाह गोपीराम।
15 जुगल पुत्र गोपीराम।
16 नरसी पुत्र गोपीराम।
17 परसाराम पुत्र गोपीराम समस्त जाति जांगिड़ ब्राहमण निवासीगण सिंगरावट तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मूर्ति मंदिर श्री बालाजी ग्राम सिंगरावट तहसील व जिला सीकर चिरअवयस्क जरिये रामदास चेला लालदास प्रन्यासी मन्दिर श्री बालाजी ग्राम सिंगरावट हाल निवासी दादूद्वारा ग्राम सुरसुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

2 मूर्ति मन्दिर श्री गोपीनाथजी ग्राम सिंगरावट चिरअवयस्क जरिये पुजारी दामोदार प्रसाद पुत्र किशनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सिंगरावट तहसील व जिला सीकर।

3 भूमिधारी तहसीलदार सीकर।

4 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा सिंगरावट जरिये शाखा प्रबन्धक।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर बउनवानी प्रकरण मूर्ति मंदिर श्री बालाजी ग्राम सिंगरावट बनाम सेवा वगैरह मुकदमा नम्बर 72/2008 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.2011

उपस्थिति :

1. श्री विजयराज सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयसिंह तंवर, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 10.12.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 72/2008 में पारित निर्णय दिनांक 29.09.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में मूर्ति मन्दिर श्री बालाजी की ओर से एक दावा इस आशय का पेश किया गया कि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *
सत्यमेव जयते

ग्राम सिंगरावट की कृषि भूमि खसरा नम्बर 270 रकबा 2.69 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 272 रकबा 0.12 हैक्टेयर जिनके पुराने खसरा नम्बर 143,145,146,147 है, पूर्व में मूर्ति मंदिर श्री बालाजी की थी जिसकी खातेदारी कानून के खिलाफ अन्तिम कर दी गयी। जो पुनः मूर्ति मंदिर श्री बालाजी ग्राम सिंगरावट के नाम दर्ज की जावें। इस पर विचारण न्यायालय ने दावे की विषयवस्तु से बाहर जाकर अपीलांट की खातेदारी की कृषि भूमि जो कि वादी मूर्ति मन्दिर श्री बालाजी की नहीं है, की खातेदारी भी चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री से मूर्ति मन्दिर श्री गोपीनाथजी के नाम अन्तरिम कर दिये जाने से चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री पारित कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की खातेदारी की कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 119 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 295,298,308,309,297,220,296 तन बिजारणियां की ढ़ाणी पुराना राजस्व ग्राम सिंगरावट वाद पत्र की विषयवस्तु नहीं थी, फिर भी विचारण न्यायालय ने चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री पारित से अपीलांट्स की उक्त वर्णित भूमि मन्दिर के नाम करने का निर्णय व डिक्री पारित कर भारी कानूनी भूल की है, इस कारण चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री खारिज होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की खातेदारी की कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 119 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 295,298,308,309,297,220,296 तन बिजारणियां की ढ़ाणी पुराना राजस्व ग्राम सिंगरावट वाद पत्र की विषयवस्तु नहीं थी, फिर भी विचारण न्यायालय ने चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री पारित से अपीलांट्स की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उक्त वर्णित भूमि मन्दिर के नाम करने का निर्णय व डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय ऐसी स्थिति में विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के खातेदारी की कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर पुराने खसरा नम्बर 119 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर **295,298,308,309,297,220,296** तन बिजारणियां की ढ़ाणी पुराना राजस्व ग्राम सिंगरावट के सन्दर्भ में पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.12.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर